स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को 68वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर स्वच्छता कार्यक्रम को सरकार का उच्च प्राथमिकता कार्यक्रम घोषित किया गया है। जन सहभागिता व नागरिकों के सक्रिय सहयोग से 2 अक्टूबर 2019 तक सम्पूर्ण भारत में उच्च स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित किये जाने का लक्ष्य है। भारत सरकार द्वारा 26 दिसम्बर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देश जारी किये गये है एवं इसके सफल क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 12.02.2015 को राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति, जिला स्तरीय समीक्षा एवं निगरानी समिति एवं सिटी लेवल निगरानी समितियों का गठन किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी योजना के अन्तर्गत राशि रूपये 705.00 करोड़ का बजट प्रावधान है। केन्द्र सरकार से प्राप्त अंश राशि में राज्यांश राशि को सम्मिलित करते हुये नगरीय निकायों को राशि हस्तान्तरण किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के मुख्यतः दो घटक है :–

A. **Open Defecation Free (ODF)**

B. **Solid Waste Management**

A. Open Defecation Free (ODF) :–

(I) घरेलू शौचालयों का निर्माण (IHHLs):–शहरी क्षेत्र मे खुले में शौच प्रतिबंधित करने एवं शौचालय विहीन मकानो में शौचालयो का निर्माण करवाया जा रहा है। राज्य में 4.30 लाख घरों में स्वच्छकारी शौचालयों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक मकान में शौचालय बनाने की अनुमानित लागत 20 हजार रू. है। सभी शहरों में शौचालय विहीन प्रत्येक मकान में शौचालय निर्माण की योजना है। इस योजना को 5 वर्षो में पूर्ण किया जायेगा। इस हेतु कार्य योजना वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 की अवधि हेतु बनाई गई है। प्रत्येक मकान में शौचालय निर्माण की अनुमानित लागत 20 हजार रूपये में से 4 हजार रूपये भारत सरकार, 4 हजार रूपये राजस्थान सरकार, 4 हजार रूपयें संबंधित निकाय द्वारा SFC/FFC कोष से तथा शेष राशि लाभार्थी/सी.एस.आर. फण्ड़ द्वारा वहन की जावेगी। अब तक इस कार्य हेतु 332.00 करोड रूपये सभी नगरीय निकायों को उपलब्ध कराये गये है। घरेलू शौचालयों के निर्माण की प्रगति निम्न प्रकार से है :–

1. आवश्यकतानुसार ऑनलाईन आवेदन – 472380
2. स्वीकृत आवेदन – 357610

3. शौचालय निर्माण — 355485

मिशन का क्रियान्वयन वर्ष 2014 से प्रारम्भ करते हुये 2 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण किया जाना है।

(II) सामुदायिक शौचालयों का निर्माण (Community Toilets)

राज्य के शहरी क्षेत्रो में कच्ची बस्तियो अथवा घनी आबादी क्षेत्र मे भूमि अथवा स्थान की कमी के समाधान के लिये सामुदायिक शौचालयो के निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए राज्य के शहरो मे कुल 1500 सामुदायिक शौचालय बनाने जाने का लक्ष्य है। अब तक 1410 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है तथा शेष 78 का कार्य प्रगतिरत है। भारत सरकार द्वारा प्रति सीट 39200/— रूपये अनुदान/VGF के रूप में उपलब्ध करवाया जा रहा है एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि भारत सरकार से प्राप्त राशि की 33.33 प्रतिशत है। शेष राशि नगरीय निकायों द्वारा वहन की जा रही है।

(III) सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण (Public Toilets)

राज्य के शहरी क्षेत्रो में प्रमुख सार्वजनिक स्थलो, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन आदि स्थानो पर दैनिक आने—जाने वाली अस्थायी जनसंख्या के लिए सार्वजनिक शौचालयो के निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए राज्य के शहरो मे सार्वजनिक शौचालयो बनाये जा रहे है। वर्ष 2014 से अब तक 1133 सार्वजनिक शौचालयो का निर्माण कराया जा चुका है तथा 59 का कार्य प्रगतिरत है। भारत सरकार द्वारा प्रति सीट 39200/— रूपये अनुदान/VGF के रूप मे उपलब्ध करवाया जा रहा है एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि भारत सरकार से प्राप्त राशि की 33.33 प्रतिशत है। शेष राशि नगरीय निकायों द्वारा वहन की जा रही है।

B. ठोस कचरा प्रबंधन (Solid Waste Management)

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ठ नियम 2016 की पालना सभी निकायों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। शहरी क्षेत्रो में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 191 निकायो में घर—घर से कचरा संग्रहण एवं कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है। शहरो में नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियम, 2016 के अन्तर्गत नगरीय निकायों द्वारा प्रतिदिन सड़कों/नालियों की सफाई, घरों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निकले कचरे का संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण करने हेतु ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन का कार्य करवाया जा रहा है। ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए Viability Gap Funding के तहत् कार्य किया जा रहा है। साथ ही सफाई व्यवस्था के लिये जन चेतना लाने के उद्देश्य से IEC गतिविधियॉ भी की जा रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य हेतु आवश्यक राशि की 35 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान है तथा राज्य सरकार की

हिस्सा राशि भारत सरकार से प्राप्त राशि की 33.33 प्रतिशत है। शेष राशि नगरीय निकायों द्वारा वहन की जा रही है।

राज्य की समस्त 191 नगरीय निकायों द्वारा घर–घर कचरा संग्रहण एवं परिवहन कार्य हेतु आवश्यक उपकरण एवं मशीनें क्रय करने के लिये निदेशालय स्तर पर दरें स्वीकृत/ निर्धारित करते हुये वार्षिक दर संविदा की जा चुकी है। नगर निकाय अपनी आवश्यकता के आधार पर उपकरणों/मशीनों का क्रय कर रही है।

(i) घर–घर कचरा संग्रहण :– राज्य की सभी नगरीय निकायों में कुल 5339 वार्डों मे से 5278 वार्डों मे घर–घर कचरा संग्रहण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। शेष वार्डों हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

(ii) प्रोसेसिंग प्लांट :–

राज्य के 16 नगरीय निकायों–जयपुर (250 TPD), डूंगरपुर (6 TPD), प्रतापगढ (6 TPD), निम्बाहेडा (6 TPD), धौलपुर (1 TPD), पिड़ावा (3 TPD), छबड़ा (0.1 TPD), कपासन (3 TPD), विजयनगर (5 TPD), अजमेर (1.05 TPD), बाड़मेर (0.66 TPD), कुचेरा (2 TPD), मुड़वा (1 TPD) लाडनू (1 TPD), जैसलमेर (5 TPD), अलवर (2.5 TPD) कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट प्लांट चालू है तथा जयपुर में (350 TPD RDF) प्लांट चालू है।

राज्य के 04 नगरीय निकायों – बीकानेर (258 TPD), सीकर (100 TPD), हनुमानगढ, (60 TPD) एवं शिवगंज (40 TPD) में निर्माणाधीन है।

08 नगरीय निकाय – भरतपुर (100 TPD), पाली (100 TPD),भीलवाड़ा (144 TPD), करौली (120 TPD), बारां (60 TPD), बूंदी (40 TPD), टोंक (82 TPD) तथा झुन्झुनू (65 TPD) में पर्यावरण विभाग से स्वीकृति के उपरान्त कार्य चालू किया है।

05 नगरीय निकाय – अजमेर (200 TPD), उदयपुर (200 TPD), अलवर (129 TPD), ब्यावर (60 TPD) तथा कोटा (400 TPD) टेण्डर प्रक्रियाधीन है।

शेष निकायों में कम्पोस्ट खाद बनाये जाने हेतु निकाय स्तर पर कम्पोस्ट मशीन, पार्को में कम्पोस्ट एवं कम्पोस्ट पिट बनाकर कम्पोस्ट खाद बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

2. 'हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत शहरी क्षेत्रों में अस्वास्थ्यकारी शौचालयों (Insanitary Latrines) को जलप्रवाही शौचालयों में परिवर्तित करना एवं स्वच्छकारों (Manual Scavengers) का पुनर्वास करना :–

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.09.2013 को भारत के राजपत्र में इस अधिनियम का प्रकाशन करते हुये, हाथ से मैला उठाने/साफ करने के कार्य को प्रतिबंधित करने एवं इस कार्य में लगें हुये/कार्यरत स्वच्छकारों (मैन्यूअल

स्केवेंजर्स) व उनके परिवार के पुनर्वास के लिये दिनांक 6 दिसम्बर, 2013 से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा 'हाथ से मैला ढोने वाले कार्मिकों का प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013' की प्रभावी क्रियान्विति हेतु शहरी क्षेत्रों में अस्वास्थ्यकारी शौचालयों (Insanitary Latrines)/शुष्क शौचालय व स्वच्छकारों (Manual Scavengers) के सर्वे का कार्य समस्त नगर निकायों में पूर्ण कर लिया गया है। नगर निकाय क्षेत्रों में सर्वे में पाये गये अस्वास्थ्यकारी/शुष्क शौचालयो व उनमें कार्यरत पाये गये स्वच्छकारों (मैन्यूअल स्केवेन्जर्स) के अनुमोदन की कार्यवाही जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा की जाती है। नगरीय निकायों द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार वर्ष 2014–15 में राज्य के शहरी क्षेत्रों में अस्वच्छकारी शौचालय/शुष्क शौचालय में 1220 स्वच्छकार (Manual Scavengers) कार्यरत होना पाये गये हैं। जिनकी सूची राज्य अनुसूचित जाति जनजाति निगम को SRMS योजना के तहत पुनर्वास हेतु प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान में राज्य के किसी भी शहर में हाथ से मैला ढ़ोने (Manual Scavenging) की सामाजिक कुप्रथा (Social Evils) में कोई व्यक्ति/कार्मिक संलिप्त नहीं है। इस घ्रणित सामाजिक कुप्रथा (Social Evils) का उन्मूलन किया जा चुका है।

3. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन :– राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से निस्तारण के अन्तर्गत 8 शहरों में स्थापित कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी संयत्रों से जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अजमेर, भीलवाडा, अलवर, झालावाड़, बांरा, जयपुर, दौसा, उदयपुर, बून्दी, भरतपुर अर्थात 16 जिलों से जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त 7 शहरों सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर, झुन्झुनू, चित्तौडगढ़, जालोर, नागौर व जैसलमेर में कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसेलिटी संयत्र की स्थापना के क्रम में राज्य के शेष जिलों के जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु निविदाऐं प्राप्त कर ली है। सवाईमाधोपुर संयत्र के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जैसलमेर संयत्र के लिए प्राप्त निविदा की दर स्वीकृति की प्रक्रिया में है। शेष 5 शहरों के संयत्रों हेतु Environmental Clearance (EC) की कार्यवाही प्रगतिरत है। राज्य में CBMWTF संयत्रों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः–

क.सं.	सयंत्र स्थल	क्षैत्राधिकार (जिले)	संभावित अवधि
1.	जोधपुर	जोधपुर, पाली	कार्यरत
2.	बीकानेर	बीकानेर, नागौर	कार्यरत

3.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर	कार्यरत
4.	अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा	कार्यरत
5.	अलवर	अलवर,भरतपुर	कार्यरत
6.	झालावाड़	झालावाड़, बांरा	कार्यरत
7.	जयपुर	जयपुर, दौसा	कार्यरत
8.	उदयपुर	उदयपुर	कार्यरत
9.	डूंगरपुर	डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा	Environmental Clearance हेतु फर्म द्वारा पर्यावरण विभाग, राजस्थान में आवेदन किया हुआ है।
10.	झुंन्झुंनू	झुंन्झुंनू, सीकर, चूरू	Environmental Clearance हेतु फर्म द्वारा पर्यावरण विभाग, राजस्थान में आवेदन किया हुआ है।
11.	जयपुर (ग्रामीण)	जयपुर ग्रामीण, दौसा (प्रस्तावित)	फर्म के साथ MoU निष्पादित किया गया है।
12.	चित्तौडगढ	राजसंमद, चित्तौड़गढ़ (प्रस्तावित)	Environmental Clearance हेतु फर्म द्वारा पर्यावरण विभाग, राजस्थान में आवेदन किया हुआ है।
13.	जैसलमेर	जैसलमेर , बाड़मेर (प्रस्तावित)	निविदा आमंत्रित कर निविदा दर अनुमोदन हेतु प्रक्रिया में है।
14.	जालोर	जालोर, सिरोही (प्रस्तावित)	Environmental Clearance हेतु फर्म द्वारा पर्यावरण विभाग, राजस्थान में आवेदन किया हुआ है।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

15.	नागौर	नागौर (प्रस्तावित)	Environmental Clearance हेतु फर्म द्वारा पर्यावरण विभाग, राजस्थान में आवेदन किया हुआ है।
16.	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर, टोंक , करौली	भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है।
17.	कोटा	कोटा, बून्दी	वर्तमान में कार्यरत संयत्र डी–नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में है।
18.	भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर (कार्यादेश जारी भूमि उपलब्ध करायी जा रही है।)	निविदा प्रक्रिया पर हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगा हुआ है। भरतपुर के BMW का निस्तारण अलवर संयत्र की फर्म द्वारा किया जा रहा है।

बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसेलिटी हेतु जारी संशोधित दिशा–निर्देश दिनांक 21 दिसम्बर 2016 अनुसार उक्त संयंत्र द्वारा संबंधित क्षेत्र में रेडियल दूरी 75 किमी में स्थित हैल्थ केयर यूनिटस से प्राप्त बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण किया जाता है। यदि 75 किमी रेडियल दूरी के अन्दर 10,000 हजार बैडस से कम बैडस होते है तो, स्थापित संयत्र द्वारा संबंधित क्षेत्र में रेडियल दूरी 150 किमी में स्थित हैल्थ केयर यूनिटस् से प्राप्त BMW का निस्तारण 48 घण्टों के अन्दर–अन्दर किया जावेंगा। अनुबन्ध सम्बन्धित निकाय एवं CBMWTF ऑपरेटर के मध्य सम्पादित किये गये है। निविदा में स्वीकृत दरों के आधार पर CBMWTF ऑपरेटर बॉयो मेडिकल वेस्ट जनरेटरों से राशि वसूल करता है। अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार राशि ऑपरेटर द्वारा स्वयं के स्तर पर संग्रहित की जाती है।

इन सभी संयंत्रों में सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों/डिस्पेन्सालयों का BMW निस्तारित किया जाता है। समस्त संयंत्रों द्वारा चिकित्सालय, नर्सिंग होम, वेटनरी चिकित्सालय, पालीक्लीनिक प्रयोगशालाओं का BMW निस्तारित किया जाता है। दिनांक 22.12.2015 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वेटनर्री चिकित्सालय एवं पोली क्लिनिक की दर 2000 रू. प्रति माह निर्धारित की है। तद्नुसार सभी सम्बन्धित संयत्र संचालित फर्मो को सूचित कर दिया गया है।

4. प्लास्टिक वेस्ट प्रबन्धन :–

सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 258 के तहत् प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन एंव प्लास्टिक

थैलियो की रोकथाम किया जाना अनिवार्य है। इस नियम के तहत् प्लास्टिक वेस्ट/बैग्स का उचित तरीके से कलेक्शन, पृथक्करण, परिवहन एवं निस्तारण किया जावेगा। उक्त प्रावधानों के तहत राज्य के सम्पूर्ण शहरी क्षेत्रो में प्लास्टिक बैग्स के उपयोग एवं बिक्री पर रोकथाम करने के उद्देश्य से प्लास्टिक बैग्स/थैलियों को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। प्लास्टिक के कचरे को खुले में जलाना प्रतिबन्धित है।

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर